संख्या-2081/सत्रह-म/6-9(49)/97

प्रेषक,

आर.के. शर्मा,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊः दिनांक- 9 सितम्बर, 2010

विषयः- सामुदायिक तालाबों के आवंटित मत्स्य पट्टों के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि कतिपय मामलों में सामुदायिक तालाबों के मत्स्य पट्टों पर वास्तविक पात्र पट्टेदारों को कब्जा नही दिया गया है और इन पट्टों पर किसी अपात्र व्यक्ति अथवा माफिया का अवैध कब्जा है।

2- सामुदायिक तालाबों का पट्टा उत्तर प्रदेश राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-3736/रा-02, दिनांक-17.10.1995 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा आवंटित किया जाता है। जनपद स्तर पर मत्स्य विभाग के कार्मिकों की सीमित उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त क्रम में प्रदेश में जनपद स्तर पर तालाब पट्टा के वास्तविक आवंटियों के भौतिक सत्यापन को अभियान के रूप में 15 सितम्बर, 2010 तक सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया है।

3- उपरोक्त के दृष्टिगत मत्स्य विभाग के अधिकारियों का भी पूर्ण सहयोग लेते हुए तथा वास्तविक पट्टाधारकों की सूची का सत्यापन निर्धारित प्रारूप के आधार पर कराया जाये। मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पट्टेदारों का उनके मत्स्य पट्टों पर वास्तविक रूप से कब्जा भी दिलाया जाना है। कृपया इस हेतु की गयी कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाये।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर.के. शर्मा)
कृषि उत्पादन आयुक्त

पृ0सं0-2081(1)/सत्रह-म/6- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से समुचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डा0 हरशरण दास)
सचिव

पटटे पर आवंटित ग्राम सभा के तालाबों का भौतिक सत्यापन विवरण

मण्डल जनपद तहसील

क0 सं0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	तलाब का गाटा सं0	क्षेत्रफल (है0में)	पटटे की अवधि		वार्षिक लगान	पटटे धारक का नाम व पता	जाति	पटटे धारक की आर्थिक स्थिति बी0पी0एल0/ ए0पी0एल0	क्या तालाब पर पटटे धारक का कब्जा (है/नहीं)	यदि नहीं तो अवैध कब्जाधारी का नाम व पता	अन्य विवरण
					कब से	कब तक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14